

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highway Division
लो0नि0वि0, इटावा-206001
UPPWD, Etawah-206001



एस0एस0पी0 चौराहा, मैनपुरी रोड, इटावा-206001
SSP Chauraha, Mainpuri Road, Etawah-206001
E-mail: eenhpwdetw@gmail.com
E-mail: nhetawah@gmail.com

पत्रांक- 692/7410/22
सेवा में,

दिनांक- 07/07/2022

प्रभागीय निदेशक
राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट,
उत्तर प्रदेश आगरा

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0-FP/UP/Road/150997/2022

विषय-जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0-92 के किमी0-70.500 से 78.600 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य कराने में राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश आगरा की इटावा रेंज के कार्यक्षेत्र में प्रभावित 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-36/23-1 (इटावा-ग्वालियर मार्ग) दि0-04.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपसे दूरभाष पर हुयी वार्ता के कम में इस कार्यालय द्वारा समस्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं Area calculation संशोधित कर आपके कार्यालय में प्रेषित कर दिये गये थे एवं प्रस्ताव के साथ क्षेत्रफल के गणना भी हार्ड कापी में संलग्न की गयी थी, जिसकी 05 प्रतियां आपके पत्रांक-36/23-1 (इटावा-ग्वालियर मार्ग) दि0-04.07.2022 के कम में पुनः संलग्न कर इस इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक को परिवेश पोर्टल पर EDS के रूप में संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है जिस कारण सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा के स्तर पर न तो प्रस्ताव प्रदर्शित होगा एवं न ही उनके स्तर से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। आपके द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल के जियो रिफरेंस डिजिटल मैप व 1:50000 के स्केल पर टोपोगीट तैयार कराते हुये आपके कार्यालय में जमा करा दिये गये हैं जो आपके स्तर से आनलाइन भाग-02 में कम सं0-13 पर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के साथ संलग्न कर अपलोड किये जाना शेष है। साथ ही भाग-02 में **Site inspection report not blow the DCF/DFO** अपलोड किया जाना शेष है।

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में प्रस्ताव की अनुक्रमणिका (index) के आधार पर सुव्यवस्थित करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त अनुक्रमणिका प्रस्ताव को Save and lock → **Site inspection report** एवं तदोपरान्त **Recommendation upload** करने के उपरान्त आनलाइन भाग-02 के प्रिन्ट आउट को आप द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त तैयार करना उचित होगा जिससे प्रस्ताव के संलग्न पृष्ठों के क्रमांक को चेकलिस्ट पर टंकित किये जा सकें। यह भी अवगत कराना है कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकरण की निरन्तर समीक्षा की जा रही है व प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में Forest Clearance की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मुकेश कुमार ठाकुर)
अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

दिनांक-

पत्रांक-
प्रतिलिपि-

1. मुख्य अभियन्ता (रा0मा0) लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मै0 रेडीकॉन (इंडिया) प्रा0लि0, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अवर अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा